न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 43/2021

वादीगण :–

1. रमेश पुत्र श्री आइदानराम जाति माली निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अशोक पुत्र श्री बीरमराम।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री बीरमराम।
3. पुखराज पुत्र श्री आइदानराम।
4. प्रकाश पुत्र श्री आइदानराम।
5. पानी पत्नि आइदानराम।
6. श्रवणलाल पुत्र श्री बीरमराम।
7. शोभाराम पुत्र श्री रूपाराम जातियान माली निवासीयान पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
8. भूमिधारी जरीये तहसीलदार, पीपाड़ शहर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री अभिषेक कच्छावाहा – वकील वादी
श्री वी.पी. ओझा – वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 11.06.2021

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है –खाता संख्या 764 खसरा नम्बर 2334 रकबा 5.1857 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय तथा खसरा नम्बर 2334/2670 रकबा 6.0675 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय कुल खसरा 02 कुल रकबा 11.2532 हैक्टेयर। उक्त वर्णित आराजी को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक संलग्न पेश है। विवादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी जमीन है जिस पर माफिक हक हिस्सानुसार पक्षकारान काबिज है। जिसमें वादी का 5/54 वां हिस्सा है। वादी अपने हक हिस्सा पर संयुक्त रूप से साहुलियत अनुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादी को आम बोलचाल भाषा में रामेश्वर पुत्र आइदानराम नाम से जाना–पुकारा जाता है लेकिन वादी का सही नाम रमेश पुत्र श्री आइदानराम है तथा वादी के नाम से आधार कार्ड, परिवार कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेज में वादी का नाम रमेश पुत्र श्री आइदानराम है। वादी ने किसान केडिट कार्ड बनाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तथा दिनांक 09.04.2021 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की जिस पर हल्का पटवारी ने कहा कि आपका नाम राजस्व रेकार्ड में रामेश्वर दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजात में रमेश दर्ज है इसलिए राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवाना पड़ेगा इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम रामेश्वर के स्थान पर रमेश दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया इस पर अप्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

श्रीमानजी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करवाने हेतु कहा इसलिए प्रार्थी को उक्त वाद पत्र घोषणा खातेदारी एवं रेकार्ड दुरूस्ती का पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी वादी का नाम रमेश पुत्र श्री आइदानराम है तथा प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड, परिवार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी वादी का नाम रमेश पुत्र श्री आइदानराम दर्ज है इसलिए वादी अपना नाम रामेश्वर के स्थान पर दुरूस्त करवाकर रमेश करवाना चाहता है। प्रार्थी वादी का नाम रामेश्वर के स्थान पर रमेश करने से अन्य सहखातेदारान पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादग्रस्त आराजी में वादी का 5/54वां हिस्सा है तथा वादी अपने हक हिस्सा पर संयुक्त रूप से साहुलियत अनुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है राजस्व रेकार्ड में वादी रामेश्वर पुत्र आइदानराम के स्थान पर रमेश पुत्र आइदानराम दुरूस्त करवाना चाहता है। रमेश एवं रामेश्वर एक ही व्यक्ति है जो वादी है। वादी की वादग्रस्त आराजी ग्राम पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित होने से वाद पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का है तथा अन्दर मियाद पेश है। अतः वादपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2334, 2334/2570 कुल खसरा 02 कुल रकबा 11.2532 हैक्टेयर में वादी का नाम रामेश्वर पुत्र आइदानराम के स्थान पर दुरूस्ती फरमायी जाकर रमेश पुत्र श्री आइदानराम दर्ज कर खातेदार घोषित किया जाने का आदेश फरमावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया ।

प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से वकील विजयप्रकाश ओझा ने वकालतनामा जवाब मय प्रतिवादीगण के शपथ–पत्र पेश किये।

प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थना–पत्र के पद संख्या एक में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2332, 2334/2670 कुल खसरा 02 कुल रकबा 11.2532 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या एक से सात की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है। प्रार्थना – पत्र का पद संख्या दो सही होने से स्वीकार है वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 5/54वां हिस्सा है तथा सुविधानुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या दो सही होने से स्वीका है प्रार्थी को बोलचाल भाषा में रामेश्वर पुत्र आइदानराम नाम से जाना पुकारा जाता है लेकिन वास्तव में प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र आइदानराम है। प्रार्थी रमेश व रामेश्वर एक ही व्यक्ति है। प्रार्थना–पत्र का पद संख्या तीन होने से स्वीकार है प्रार्थी का नाम दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार कार्ड अन्य सभी दस्तावेज में रमेश पुत्र आइदानराम दर्ज है जबकि राजस्व रेकार्ड में गलती से रामेश्वर दर्ज हो गया। प्रार्थी रमेश व रामेश्वर एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में रामेश्वर के स्थान पर रमेश दर्ज किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रार्थना–पत्र का पद संख्या चार सही होने से स्वीकार है वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 5/54 वां हिस्सा है। प्रार्थी रामेश्वर के स्थान पर रमेश दुरूस्त करवाना चाहता है जो दुरूस्ती की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रार्थी का सही नाम रमेश ही है। प्रार्थना–पत्र का पद संख्या पांच सही है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2334, 2334/2670 कुल खसरा नम्बर 02 कुल रकबा 11.2532 हैक्टेयर में वादी का नाम रामेश्वर पुत्र

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आइदानराम के स्थान पर रमेश पुत्र आइदानराम दुरूस्ती फरमावें जिसमें हम अप्रार्थी / प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

हमने बहस वकुलाय सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजो एवं वकील प्रतिवादीगण का एडमिडेट जवाब का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय सुनी जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नं. 2334, 2334/2670 कुल खसरा 2 कुल रकबा 11. 2532 हैक्टेयर में दर्ज नाम रामेश्वर पुत्र आइदानराम के स्थान पर रमेश पुत्र आइदानराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 11.06.2021 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर